FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत ———उपखण्ड अधिकारी——— मुकाम ———चिड़ावा———

———रिराजू शाह ———बनाम——— इसब वगै0———

किस्म मुकदमात———प्रा0 पत्र 212———नं.—25———सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
24.02.22	आज यह प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। तलबी अप्रार्थीगण हेतु प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावें। वकील प्रार्थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के हक में जाते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 166/78 , 80, 81, 82, 83 कुल किता 05 कुल रकबा 5.80 है0 मौजा ग्राम जाखड़ा के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । मिसल वास्ते तलबी हेतु दिनांक 25.03.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी,चिड़ावा	
15.03.22	पत्रावली पेश हुई। सुनवाई प्रकरण को प्रार्थी के वकील ने आज की तारीख पेशी में लेने का निवेदन किया इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आज की तारीख में लिया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नॉटप्रेस किया अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24/2/22 को [illegible] नॉटप्रेस करते [illegible] की पत्रावली [illegible] तामील की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)	Not press (हस्ताक्षर) 15/3/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.09.30 13:15:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner